अपराध शास्त्र

पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद

अपराध की परिभाषा

- हैकर वाल के अनुसार-"अपराध कानून का उल्लघन है"
- इलियट एण्ड मेरिल के अनुसार-"अपराध वह क्रिया है जो कानून द्वारा वर्जित है जिसके लिए मृत्यु, जुर्माना, कार्य गृह या जेल में रखकर दण्डित किया जा सकता है"

अपराध कानून की विशेषताएं

- राजनीतिकता
- विशिष्टता
- समरूपता
- दण्ड

अपराध और दण्ड में सम्बन्ध

अपराध और दण्ड दोनों मानव-व्यवहार के अभिन्न अंग हैं

वेन्थम के अनुसार

❖साधारण अपराध के लिए साधारण दण्ड

❖बड़े अपराध के लिए बड़ा दण्ड

❖अपराध किये जाने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखकर दण्ड

❖कठोर दण्ड

अपराध की आधुनिक धारणा-सुधारवादी

- प्रोवेशन
- पैरोल
- सुधारगृह
- प्रमाणित विद्यालय
- वोर्स्टल स्कूल
- बन्दीगृह शिविर

अपराधी जन्मजात नहीं होते बनाए जाते हैं

अपराध के कारण

मनोवैज्ञानिक कारण

सिगमण्ड फायड के अनुसार

- ओडियस कम्पलेक्स
- अचेतन निराशा
- मूल इच्छाओं को दबाना

आर्थिक कारण

- निर्धनता
- बेरोजगारी
- अकाल
- आर्थिक चढ़ाव-उतार
- पूँजीवाद

राजनैतिक कारण

- गुटबंदी
- प्रतिद्वन्दता
- अपव्यय
- जातिवाद
- क्षेत्रवाद

सामाजिक कारण

- विघटित परिवार
- बुरी संगति
- मद्यपान
- चलचित्र
- फैशन
- युद्ध
- अश्लील साहित्य
- अपराधी माँ-बाप

बाल अपराध

परिभाषा “एक निश्चित आयु के किशोर द्वारा कानून का उल्लंघन अपराध कहलाता है “

अपराध के कारण

इलियट और मेरिल के अनुसार

पारिवारिक कारण

- वंशानुक्रम
- अनैतिक घर
- अवैध पितृत्व, अवैध संतान
- माँ-बाप द्वारा उपेक्षा
- अपराधी भाई-बहिन का सहवास

शारीरिक तथा जैवकीय कारण

मनोवैज्ञानिक कारण

- मानसिक हीनता
- संवेगात्मक संघर्ष
- अस्थिरता
- मनोरंजन

स्कूल

- संगति
- सामूहिक अनुभव

किशोर अपचार

- आवारापन
- भगोड़ा
- भिक्षावृत्ति

सुधार के उपाय

- सुधार स्कूल
- वोर्स्टल स्कूल
- बाल न्यायालय
- प्रमाणित स्कूल
- बाल बन्दीगृह

- रिमाण्ड स्कूल
- सहायक गृह
- फोस्टर स्कूल
- अनाथालय
- बाल क्लब
- बाल परिवीक्षा हॉस्टल

पथ विचलन

परिभाषा-”समाज द्वारा स्थापित प्रतिमानों के विपरीत मानव व्यवहार करना ही पथ-विचलन कहलाता है।“

पथ विचलन की समस्याऐं-

1. बाल निराश्रितता
2. भिक्षावृत्ति
3. जातीय दूरी तथा पृथक्करण

व्यक्तिगत पथ विचलन- नशा

सामूहिक पथ विचलन- हड़ताल, धरना

दण्ड के सिद्धान्त

1- प्रतिशोधात्मक सिद्धान्त

2- प्रतिरोधात्मक सिद्धान्त

3-निरोधात्मक सिद्धान्त

4-सुधारात्मक सिद्धान्त

सुधारात्मक समस्याऐं

- परिवीक्षा
- पैरोल
- खुले बन्दीगृह शिविर

सफेद पोश अपराध

टैफ्ट के अनुसार-

परिभाषा-" सफेद पोश अपराध अपराध का वह प्रकार है जो उच्च वर्ग के व्यक्तियों द्वारा सम्पादित किया जाता है "

सफेद पोश अपराध के कारण

1. पूर्ण स्वार्थवाद
2. उच्च प्रतिष्ठा
3. गोपनीयता
4. जनजागरूकता का अभाव
5. अज्ञानता
6. दण्ड का अभाव

सफेद पोश अपराधी

- नेता
- वकील
- शिक्षित लोग
- इंजीनियर
- डॉक्टर
- पुलिस

कारागार प्रणाली

- केन्द्रीय बन्दीगृह
- जिला कारागार
- बन्दीगृह शिविर
- प्रोवेशन
- पैरोल

मानव व्यवहार एंव पुलिस मनोवृत्ति

मानव व्यवहार का विश्लेषण

- कुछ मनोवैज्ञानिक का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति का चरित्र व्यक्तित्व और व्यवहार कुछ हद तक अनुवांशिक रुप से पूर्व निर्धारित होता है जैसे क्रोमोजोन थ्योरी
- कुछ मनोवैज्ञानिक का कहना है कि छोटे बच्चे जन्म के दो या तीन माह पश्चात विभिन्न तरीकों से विभिन्न व्यवहार करते है जैसा हाथ पाँव मारना, खिलौनों को प्राप्त करने की कोशिश, नई परिस्थिति में जैसे नहाना, सुनना, हँसना, रोना आदि।

मानव व्यवहार के प्रमुख आधार

(1)प्राकृतिक आधार-

- मूल प्रवृत्तियाँ मौजूद होती है
- सामान्य प्रवृत्तियाँ, सहानुभूति, सुझाव एंव अनुकरण
- खेल, मनोविज्ञान

(2)अर्जित आधार –

- संवेगात्मक विकास एवं स्थायीभाव
- संकल्प और चरित्र
- रुचि, अभिवृत्ति, आदर्श एवं आदतें

मानव व्यक्तित्व का विकास

- प्रत्येक मनुष्य का विकास का प्रारम्भ "बाल्यकाल" से शुरु होता है , विकास एक निश्चित क्रम में होता है। विकास की उन विभिन्न अवस्थाओं के कुछ सामान्य एवं विशेष गुणो का विकास होता है। ये प्रौढ़ावस्था में सम्पूर्ण विकास हो जाता है।

व्यक्तित्व परिक्षण के लिए कई विधियो का उपयोग किया जाता है-

- उपाख्यान प्रणाली
- सम सामूहिक निर्धारण
- समाज अभिलेख
- समस्या सूची
- प्रेक्षपण प्रणाली
- अभिरूचि

अच्छे पुलिस अधिकारी के गुण

- भारत देश एक प्रजातांत्रिक प्रणाली वाला देश है।
- पुलिस अधिकारी संविधान के सिद्धान्तो का पालन करे।
- स्वयं को आम लोगों का सेवक समझें।
- प्रचलित कानूनो के औचित्य पर शक किये बिना लागु करे
- सरकरा द्वारा सामाजिक, कल्याण कार्यक्रमो को निष्पक्षता पूर्वक लागू करने में योगदान करे।

- आम नागरिको के साथ भेदभाव न करते हुए समस्या का समाधान करे।
- आम नागरिको के व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास हेतु उचित वातावरण बनाने में सहयोग करे।
- कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में निष्पक्ष व्यवहार करे।
- समाज के पिछड़े एवं कमजोर वर्गो की रक्षा करें।
- महिलाओं, बच्चों तथा वृद्ध असहाय व्यक्तियों के साथ होने वाले अपराधों की रोकथाम करें।
- S.C., H.C. तथा अन्य न्यायालयों द्वारा दिये गये आदेशों को लागू करने में सहयोग निष्पक्षता के साथ प्रदान करें।

औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह

- समूह शब्द का अर्थ – कुछ व्यक्तियो के किसी निश्चित समय, स्थान पर निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्रित होने से लगाया जाता है।
- व्यक्तियो की परस्पर क्रियाओं के कारण समूह की रचना होती है।

मेकाईवर एवं पेज के अनुसार –

- समूह से तात्पर्य सामाजिक प्राणियों के कही भी एकत्रित होने से है जो एक दूसरे से विशेष सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करते है।

इलियत और मैरिल के अनुसार –

- दो या दो से अधिक व्यक्ति जिसमें पर्याप्त समय से संचार हो और वे सामान्य उद्देश्य के लिए कार्य करें ।

समूह शब्द की परिभाषा –

- समूह मनुष्यों का वह समूह है जो परस्पर मिलकर कार्यक्रम करते हैं सामाजिक सम्बन्धो के आधार पर समूह दो भागो में बांटा गया है-

(1) औपचारिक समूह – परिवार, टीम, क्लब, स्कूल इत्यादि

औपचारिक समूह की विशेषताये –

- सदस्यो में शारीरिक समीपता
- आकार
- स्थायीपन
- सम्बन्ध निरन्तरता
- समान उद्देश्य
- नियन्त्रण होना
- व्यक्तिगत एवं स्वभाविक सम्बन्ध

(2) अनौपचारिक समूह –बैंक कर्मचारियों का समूह,स्कूल के विधार्थियों का समूह,औद्योगिक मजदूरों का समूह इत्यादि

अनौपचारिक समूह की विशेषतायें –

- सदस्यो की स्थिति का निर्धारण
- व्यक्तिवाद का विकास
- आत्म निर्भरता
- अप्रत्यक्ष सम्बन्ध

समूह व्यवहार, समूह के कार्य, सामाजिक समूह, छात्रों, नवयुवकों का समूह, औद्योगिक मजदूर, किसान असन्तोष, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीय संघर्ष एवं राजनैतिक दलों से सम्बन्धित समस्याओं को समझना-

- समूह की प्रकृति सामान्य या हिंसक या विशेष प्रभावशाली
- नेतृत्व कौन कर रहा है एवं उद्देश्य
- संख्या कितनी है तथा समस्या क्या है
- समूह रजिस्टर्ड है या नहीं
- अवैध घोषित करना है या नहीं

पुलिस का जनता के साथ व्यवहार- परिवर्तन की आवश्यकता एवं परिवर्तन के तौर तरीके

- पुलिस की सफलता के लिए आवश्यक है- जनता द्वारा स्वीकारना तथा अपना सहयोगी व मददगार समझना
- वर्तमान में आवश्यक है कि पुलिस लोगो को सम्मान दे तथा जनता को महत्वपूर्ण और सम्मनित होने का अहसास कराये।
- पुलिस जनता की सेवक है, शासक नही , धारणा करना।
- बातचीत के दौरान अपमानजनक भाषा का प्रयोग न करना।
- उत्तेजित व्यक्ति को शान्ति और सद्भावपूर्वक शान्त करना , स्वयं उत्तेजित न होना।

- सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहे वह अमीर हो या गरीब।
- अपने किसी कार्य से नागरिकों को असुविधा या कष्ट न पहुँचाना।
- शिष्टता और सदाचार का व्यवहार जनता से करना।
- बल प्रयोग करने से बचना।
- हमेशा जनहित की बात सोचना और जनता की सेवा की भावना रखना।